न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्यां 20/2024 बउनवानी संतोष कुमार अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0 निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर

GCMS No-2024/58

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
5.6.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.3.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. वजीरपुर तहसील मे जमाबन्दी नाम रघुनाथदास चेला नारायणदास दादूपंथी सम्वत् 2008 से 2011, 2012–2015, 2016–2019, 2020 ऐकीकरण ख0न0 3787/2,3782/2, 3780, 3781, 3782, 3784 की जमाबन्दी दो दो प्रतियों।
2. वजीरपुर तहसील में जमाबन्दी नाम रघुनाथदास चेला बजरंगदास अलोटी सम्वत् 2008–2011, 2012–2015, 2016–2019,2020 ऐकीकरण ख0न0 3774 की जमाबन्दी की दो दो प्रतियॉ।
3. वजीरपुर तहसील मे जमाबन्दी नाम रघुनाथदास चेला बजरंगदास सम्वत् 2023–2026, 2027–20230, 2031–2034 व 2024–2027,2028–2031,2032–2035 ख0न0 206/3 की जमाबन्दी की दो–दो प्रतिलिप।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(1)(30)/सूकाअ/2024/536 दिनांक 24.5.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का संबंध भू अभिलेख अनुभाग से है। प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग द्वारा अवगत कराया कि आवेदक द्वारा यह नही बताया कि कौनसे गांव की जमाबन्दी चाही गयी है। चूंकि आवेदक द्वारा गांव का नाम अंकित नही किया है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध में अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 479 दिनांक 7.5.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि ग्राम का नाम अंकित नही होने के कारण सूचना तैयार किया जाना सम्भव नही है साथ ही यह भी अवगत कराया जा चुका है भू0अभिलेख से संबंधित सूचना लेने हेतु नियमानुसार तहसील मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय के जिला अभिलेखागार मे निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना का अवलोकन कर वांछित सूचना चिहिन्त कर प्राप्त कर सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.3.2024 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम इत्यादि अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 479 दिनांक 7.5.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:12:53 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner